बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांकः– 06:04:04:01:2016(पार्ट–III) 3939 दावा/पटना दिनांकः– 27.04.17

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2017 को पारित आदेश के आलोक में प्रमादी राईस मिलरों द्वारा बकाये सी0एम0आर0 की राशि के समतुल्य "बैंक गारण्टी" जमा कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **निगम मुख्यालय का पत्रांक 2486 दिनांक 16.03.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रमादी मिलरों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से 10% से 20% की राशि एक साल में जमा कर देने के शर्त पर ले लिये गये अग्रिम जमानत/जमानत आदेश के विरूद्ध S.F.C./बिहार सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP No.-1779/2016 व अन्य 249 SLP में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.17 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया हैः–

"The accused in all the FIR(s), will ensure that bank guarantee, if not furnished, is furnished and if lapsed, is renewed within a period of one month from today failing which the anticipatory bail/bail granted will stand cancelled."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.17 को पारित उक्त आदेश के अनुपालन में वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के सभी प्रमादी राईस मिलरों से बकाये CMR की राशि के समतुल्य **"बैंक गारण्टी"** बिहार राज्य खाद्य निगम (जिला का नाम) के पक्ष में दिनांक 28.03.2017 के पूर्व जमा कराने हेतु प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया जिसकी प्रतिलिपि आपको देते हुए सभी संबधित प्रमादी मिलरों से बकाये CMR की राशि के समतुल्य **"बैंक गारण्टी"** जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था।

अतः प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में पुनः अनुरोध है कि SLP No.-1779/2016 बिहार सरकार बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.17 को पारित आदेश के आलोक में उपर वर्णित तीनों वर्ष के सभी प्रमादी मिलरों से "बकाये CMR की राशि के समतुल्य **बैंक गारण्टी**" जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

27/4/2017

(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

Nandan-Dawa-Desk 21